

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

राज्य आयोग में सदस्य पद पर नियुक्ति हेतु
विज्ञापन संख्या-02/2021

1. उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग एवं जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग-पत्र और हटाना) नियम, 2020 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य में गठित राज्य आयोग में सदस्य (न्यायिक 50 % एवं गैर न्यायिक 50 %) के रिक्त पदों/प्रत्याशा में रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यहित में पूर्णकालिक नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में सिर्फ ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

2. नियुक्ति की आवश्यक अहर्ताएँ

ऐसा कोई व्यक्ति, जो राज्य आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह होगा, जो—

न्यायिक

- (i) कम से कम 40 वर्ष की आयु का हो।
(ii) किसी जिला न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अथवा किसी न्यायाधिकरण में समकक्ष स्तर में अथवा जिला न्यायालय और न्यायाधिकरण में संयुक्त रूप से कम से कम 10 (दस) वर्ष का अनुभव रखता हो।

गैर न्यायिक

- (i) कम से कम 40 वर्ष की आयु का हो।
(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त हो, और
(iii) योग्य, सत्यनिष्ठापूर्ण और प्रतिष्ठित व्यक्ति हो और उपभोक्ता मामले, विधि, लोक मामले, प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, वित्त, प्रबंधन, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, लोक स्वास्थ्य अथवा औषधि में विशेष ज्ञान और कम से कम 20 (बीस) वर्ष का अनुभव रखता हो।

3. राज्य आयोग में सदस्य पद के लिये रिक्तियों की विवरणी

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	रिक्तियों की संख्या	
		न्यायिक	गैर न्यायिक
1	राज्य आयोग, राँची	2	2

4. अनर्हता

कोई व्यक्ति राज्य आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अनर्ह होगा, यदि वह —

- (i) ऐसे किसी अपराध जिसमें, नैतिक अधमता सम्मिलित हो, के लिए अभियोजित किया गया हो और कारावास की सजा प्राप्त हो अथवा,

- (ii) दिवालिया घोषित किया गया हो, अथवा,
- (iii) किसी समक्ष न्यायालय द्वारा अस्वस्थ मस्तिष्क और सोच का घोषित किया गया हो, अथवा,
- (iv) राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा ऐसे सरकार के स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रणाधीन किसी निकाय, कार्पोरेट की सेवा से हटाया गया हो, अथवा निष्कासित किया गया हो, अथवा,
- (v) राज्य सरकार की राय में, अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में उसके कार्यों से वित्तीय अथवा अन्य लाभों पर हानिकारण प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

5. कार्यकाल

राज्य आयोग के सदस्य 4 (चार) वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो तक पद पर रहेंगे तथा 65 वर्ष की आयु के अध्याधीन 4 वर्ष की दूसरे कार्यकाल के लिए पुनःनियुक्ति के पात्र होंगे तथा ऐसी पुनःनियुक्ति चयन समिति की सिफारिश के आधार पर की जायेगी।

6. वेतन एवं भत्ते

राज्य आयोग के सदस्य के वेतन एवं भत्ते उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा की शर्तें) मॉडल नियम, 2020 एवं खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, राँची की अधिसूचना संख्या-842, दिनांक 12.03.2021 के प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।

7. नियम एवं शर्तें

- (i) 1 जुलाई, 2021 को 40 वर्ष से कम न हो एवं 65 वर्ष से अधिक न हो।
- (ii) संबंधित प्रमाण-पत्र अपलोड नहीं किये जाने पर उल्लेखित अनुभव या योग्यता पर विचार नहीं किया जायेगा।
- (iii) किसी प्रकार की गलत सूचना देने या छिपाने पर विभाग द्वारा ऐसे व्यक्ति को नियुक्ति के बाद भी उन्हें पद से हटा दिया जायेगा।
- (iv) राज्य आयोग में सदस्य पद के लिए नियुक्ति करने का एकाधिकार विभाग के पास सुरक्षित है।
- (v) आवेदन ऑनलाईन ही स्वीकार किये जायेंगे। किसी भी अन्य माध्यम से भेजे गये आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- (vi) चयन की पूरी कार्रवाई ऑनलाईन आवेदन एवं अनुलग्नकों तथा उसके सत्यापन पर आधारित होगी।
- (vii) ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में आवेदक द्वारा की गई प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि हेतु किसी प्रकार का सुधार/परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- (viii) ऑनलाईन आवेदन में भरी गई सूचनाओं तथा अपलोड किए गए दस्तावेजों का मूल प्रमाण-पत्र/अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।
- (ix) आवेदकों को ऑनलाईन आवेदन में अंकित ई-मेल/मोबाईल नम्बर पर ही ऑनलाईन प्रणाली/ई-मेल/इलेक्ट्रॉनिक मैसेज के माध्यम से सभी सूचना दी जायेगी। कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा।

- (x) इंटरनेट व्यवधान के लिए चयन समिति उत्तरदायी नहीं होगा। अतः आवेदक अंतिम तिथि की प्रतीक्षा नहीं करेंगे एवं इसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूर्ण कर लेंगे।
- (xi) आवेदक हाल का अपना एक फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर अन्य स्व-अभिप्रमाणित विनिर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ स्कैन कर ऑनलाईन आवेदन में निर्धारित स्थान पर अपलोड करेंगे। आवेदक संतुष्ट हो लेंगे की अपलोड किये गये फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर का इमेज सुस्पष्ट है।
- (xii) योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र वही मान्य होंगे जिनका उल्लेख आवेदक ने मूल आवेदन में किया है।
- (xiii) आवेदक को सभी वांछित प्रमाण-पत्र मूल में आवश्यकतानुसार सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रमाण-पत्र मूल में आवश्यकतानुसार प्रस्तुत नहीं करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द मानी जायेगी तथा चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
- (xiv) इस विज्ञापन से संबंधित सूचनाएँ विभाग की वेबसाइट www.jharkhand.gov.in -> Department -> Food, Public Distribution and Consumer Affairs Department -> Recruitment पर प्रकाशित की जायेगी। सामाचार पत्रों में प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।
- (xv) इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाईन आवेदन से अलग मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन या कोई प्रमाण-पत्र/दस्तावेज किसी भी माध्यम से स्वीकार नहीं किए जायेंगे। साथ ही, अपूर्ण, अस्पष्ट तथा अहस्ताक्षरित आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए जायेंगे।
- (xvi) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग एवं जिला आयोग के सदस्य और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग-पत्र और हटाना) नियम, 2020 के आलोक में शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र जिसे सिविल सर्जन अथवा जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित किया गया हो, प्रस्तुत किए जाने के अध्यक्षीन होगी।
- (xvii) नियुक्ति के पूर्व चयनित अभ्यर्थी एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसके कोई वित्तीय अथवा अन्य लाभ नहीं है अथवा नहीं होंगे, जिनसे उनके पद पर नियुक्ति के रूप में उसके कार्यकरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

8. अनुलग्नक (अपलोड करना है) :-

क्र० सं०	आवश्यक संलग्नक	फाईल टाईप	फाईल साइज
न्यायिक			
1	मैट्रिक प्रमाण-पत्र/जन्म तिथि प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।	PDF	5MB
2	अपने द्वारा पारित सिविल केस के संबंध में दो न्यायादेशों की छायाप्रति।	PDF	5MB
3	अपने द्वारा पारित क्रिमिनल केस के संबंध में दो न्यायादेशों की छायाप्रति।	PDF	5MB
4	किसी जिला न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अथवा किसी न्यायाधीकरण में समकक्ष स्तर में अथवा जिला न्यायालय और न्यायाधीकरण में संयुक्त रूप से कार्य करने का कार्यानुभव के प्रमाण की छायाप्रति।	PDF	5MB
5	पिछले पाँच वर्षों का गोपनीय चारित्रि की छायाप्रति	PDF	5MB
6	कार्यानुभव के पक्ष में प्रमाण/अभिलेख की छायाप्रति।	PDF	5MB
7	पासपोर्ट साइज फोटो	JPG/JPEG	100-200KB
8	हस्ताक्षर।	JPG/JPEG	100-200KB

गैर न्यायिक			
1	मैट्रिक प्रमाण-पत्र/जन्म तिथि प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।	PDF	5MB
2	स्नातक प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।	PDF	5MB
3	स्नातक अंक पत्र की छायाप्रति।	PDF	5MB
4	यदि स्नातोकोत्तर (परास्नातक) हो तो प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।	PDF	5MB
5	यदि स्नातोकोत्तर (परास्नातक) हो तो अंक पत्र की छायाप्रति।	PDF	5MB
6	यदि Ph.D हो तो प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।	PDF	5MB
7	यदि Ph.D हो तो अंक पत्र की छायाप्रति।	PDF	5MB
8	कार्यानुभव के पक्ष में प्रमाण/अभिलेख की छायाप्रति।	PDF	5MB
9	पासपोर्ट साइज फोटो	JPG/JPEG	100-200KB
10	हस्ताक्षर।	JPG/JPEG	100-200KB

9. आवेदन की समय-सीमा

1	ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ की तिथि	दिनांक 22.09.2021 - 00:00 बजे
2	ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि	दिनांक 06.10.2021 - 23:59 बजे

10. बिना किसी सूचना के प्रकाशित रिक्तियों की संख्या घटाने या बढ़ाने या रद्द करने या विज्ञापन में संशोधन करने का एकाधिकार विभाग के पास सुरक्षित है।

11. आवेदक/आवेदिका www.jharkhand.gov.in -> Department -> Food, Public Distribution and Consumer Affairs Department -> Online Apply अथवा <http://dlms.jharkhand.gov.in/> में संबंधित विज्ञापन संख्या-02/2021 के अन्तर्गत दिनांक 06.10.2021 को 23:59 बजे तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।

12. पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन

- पूर्व में राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में सदस्य की नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या-02/2019 एवं इसी के क्रम में प्रकाशित विज्ञापन संख्या-02/2020 को रद्द किया जाता है।
- पूर्व में प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
- वर्तमान में राज्य आयोग के सदस्य पद के लिए नवीन ऑनलाईन आवेदन भरा जाना अनिवार्य होगा।

(ज्योति कुमारी झा),
सरकार के अवर सचिव।